फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व विविध जीसीएमएस नंबर 2024/282 बअनवान ओटीदेवी वगैरा बनाम मंजु वगैरा

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
08 01/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। राज पेरोकार उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को जारी नोटिस तामील के बावजुद वकालतन/असालतन आदिनांक तक अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा बहस में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी गई कि ग्राम खीमेल स्थित भूमि खसरा नंबर 1669 रकबा 1.1600 हेक्टर किस्म बारानी दोयम कृषि भूमि है परंतु अप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा वादग्रस्त भूमि का बिना विभाजन कराये मनमाफिक भूमि पर कब्जा करने की नियत से नींव खोदने हेतु खण्डे डालने व मकान निर्माण कराने पर आमादा है तथा प्रार्थीगण को काश्त करने नही दे रहे है एंव खेत पर आने पर जान से मारने की एलानिया धमकी दे रहे है। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया है कि वादग्रस्त भूमि का बाई मिट्स एंड बाउण्डस से विभाजन होना बाकी है। वादग्रस्त भूमि के बाई मिट्स एंड बाउण्डस द्वारा विभाजन होने तक ग्राम खीमेल स्थित भूमि खसरा नंबर 1669 रकबा 1.1600 हेक्टर किस्म बारानी दोयम कृषि भूमि में अप्रार्थी संख्या 01 व 02 जोत विभाजन के अभाव में तारबंदी नहीं करें, बेचान नहीं करे, कच्चा पक्का निर्माण कार्य नहीं करें, वादग्रस्त भूमि को डेमेज नहीं करें एवं अन्य किसी भी नाजायज हरकतों के द्वारा बाधा खडी नहीं करें इस हेतु उक्त प्रार्थना पत्र से संबंधित वाद के अंतिम निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा बहस प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण जारी किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन एवं धारा 212 टिनेंसी एक्ट में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत विधि द्वारा स्थापित बिन्दुओं प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं पर प्रकरण का परीक्षण किये जाने के पश्चात वादग्रस्त भूमि ग्राम खीमेल स्थित भूमि खसरा नंबर 1669 रकबा 1.1600 हेक्टर किस्म बारानी दोयम कृषि भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद के निर्णय तक मौके की यथास्थिति रखे जाने की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी, पाली, जिला-पाली (राज.) सहायक कलेक्टर एवं ... उपखण्ड अधिकारी, पाली	

Scanned with CamScanner